राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला परिषद्(ग्रा.वि.प्र.),बाड़मेर

क्रमांकः– मोने./जीकेएन/2023/205 दिनांक : 18.09.2023

प्रेषित–

विकास अधिकारी

पंचायत समिति समस्त ....बाड़मेर/बालोतरा।

विषयः– अकुशल व अर्द्धकुशल (मेट) श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर पुनरीक्षित करने के संबंध में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्रांक एफ 27(74) ग्राविवि/अनु–5/जीकेएन/न्यूनतम मजदूरी दर/2014–15 दिनांकः–13.09.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रम विभाग द्वारा जारी प्रासांगिक अधिसूचना दिनांक 31.08.2023 के आधार पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सम्पादित की जा रही विभिन्न केन्द्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं (महात्मा गांधी नरेगा योजना को छोड़कर) में नियोजित अकुशल व अर्धकुशल (मेट) की न्यूनतम मजदूरी दर क्रमशः रूपये 285/– व रूपये 297/– प्रति दिवस पुनरीक्षित करते हुये इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी की जाती है।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि श्रम विभाग की उक्त अधिसूचना दिनांक 31.08.2023 के द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों का विभागीय निर्माण/विकास कार्यों के लिये उपयोग हेतु आदेश जारी होने की तिथि से लागू करने के साथ–साथ इन पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों का इन्द्राज/अपडेशन वर्ष 2023–24 की वर्तमान बीएसआर सॉफ्टवेयर में नहीं किया जावेगा। उक्त पुनरीक्षित दरों का इन्द्राज माह अप्रेल में वर्ष 2024–25 की बीएसआर में अपलोड किया जावेगा।

अतः उक्त पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दर एवं वर्ष 2023–24 बीएसआर सॉफ्टवेयर में दर्ज/इन्द्राज न्यूनतम मजदूरी दर के अंतर राशि का भुगतान कार्य के तकमीने में पृथक से सम्मिलित करते हुए संबंधित कार्यकारी संस्था द्वारा उक्तानुसार अकुशल व अर्द्धकुशल (मेट) श्रमिक को किया जावें।

पत्र जारी की दिनांक के बाद जारी समस्त तकमीनों में श्रम दर की अन्तर राशि का प्रावधान कर ही तकमीनों में प्रस्तुत किया जावें।

(शिवपाल जाट)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद् बाड़मेर

क्रमांकः– मोने./जीकेएन/2023/206 दिनांक : 18.09.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. शासन सचिन महोदया, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद् बाड़मेर

C:\Users\com\Desktop\All Latters.docx